2511

बाबा स्टेशनरी, भीलवाड़ा ☎ 230289

राजस्थान सरकार

जनरल रूल्स सि[illegible] [illegible]र्म नम्बर 8 के

न्यायालय उपखण्ड [illegible] भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा	नम्बर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	फैसला कमांक
1	2	3	4	5
[illegible] 188 R.T.A	4/2011	17/2/2011		

25/4/18, 4/2/18, 7/5/18, 18/5/18

तारीख पेशी: 1/2, 9/2, 14/3, 22/3, 28/3, 25/4, 9/5

14-2-19, 7-3-19, 7-9-16, 24-11-16, 9/2/17, 23/3/17, 18/5/17, 5-6-17, 6-9-17, 4-10-17, 8/11/17 तलबी, 8-11-17, 30-11-17 तलबी, 28/12/17

प्रति० 2/9/2021, साक्ष्य 19.1.22

प्रति० साक्ष्य 1/6/22, 12.5.22

9.6.22

साक्ष्य प्रतिवादी 3.11.22

बहस 24.11.22

15.12.22 तलबी

2/2/23, 20/5/23, 20/6/23, 24/6/23

अवकाश 20/7/23

25/2/23, 26/4/23, 14/4/23, 21/4/23, 21/12/23

श्री हरि सिंह पि० मग[illegible] सिंह राजपूत — श्री गणपत लाल पि० [illegible]

22/2/18

निवासी नयानगर — निवासी माण्डलगढ़

25/2/21

5.2.2020

25 वादी 3/5/18, 28/3/18 तलबी, 26/3/18

30/5/19, तलबी 7/6/18

12/6/19, 27 वादी 12/7/18

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट — अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

27/6/19, 10/7/19, वादी 5-9-18 तलबी

डिक्रीदार — रेस्पांडेंट / मद्यूनान

12.3.22, 18/7/19, 27/9/18, 8/11/18, 30/10/18

श्री सत्य आचार्य — मुकेश [illegible]

10/12/18, 11/2/19, 20/12/18 तलबी

12.9.19, 19.9.19, 10.10.19, 21-8-19, 5/3/19, 24/1/19, 11/4/19, 25/3/19, 27/5/19

हरीशंकर राजपूत बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा वाद पत्र 188 R.T.A. नं. 04 सन 2011. 24/11

5/1

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय दस्तखत जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/2/11	वाद पत्र सीधे ही बाद जांच पेश हुआ। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को नोटिस मय नकल वाद पत्र भिजवाए जावें। पत्रावली वास्ते जवाब दावा आइन्दा दिनांक 31/3/11 को प्रस्तुत की जावे। [signature] उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां (भीलवाड़ा)	ता-[illegible] [illegible]
31/3/11	आज वादी उप.। प्रतिवादीगण की [illegible] बाद तामील प्राप्त नहीं पत्रावली वास्ते [illegible] समन दिनांक 27-4-11 को पेश हो। [signature]	
27-4-11	आज वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण की तरफ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली वास्ते तलबी जवाब दिनांक 2/6/11 को प्रस्तुत हो। [signature]	
2/6/11	आज वादी उपस्थित। प्रतिवादी नं. 1,2 की ओर से मुकेश धाकड़ अधि. ने [illegible] पेश किया। प्रतिवादी नं. 3 उपस्थित ने [illegible] से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। पत्रावली वास्ते जवाब दावा। अधिवक्ता पत्र आइन्दा दिनांक 7/7/11 को प्रस्तुत हो। [signature]	[signature] प्रतिवादी नं. 1,2 की U.T. [signature]

GL

MD.

7/7/11 आर्डर वादी उपस्थित। आदेश मुकदमा खारिज होने के फिर एवं नम्बर पर दर्ज किया जाना चाहता। पत्रावली वास्ते दिनांक 18/8/2011 को पेश हो।

18/8/11 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित ... P.O. जिम्मेदार कार्य के व्यस्त हैं पत्रावली दिनांक 20/10/11 ... पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

20/10/11 पत्रावली प्रस्तुत हुई आज अधिवक्तागण न्यायिक कार्य स्थगित रखे हुए हैं। पत्रावली वास्ते जवाब आदेश पर दिनांक 24-11-11 को प्रस्तुत हो।

24.11.11 वकलाप क्योंकि उपस्थित प्र-नं-1 की ओर से मुकदमा खारिज करीब है आदेश पर ... जो प्राप्त पत्रावली किया गया, पत्रावली वास्ते जवाब दावा 5-1-2012 को पेश हो।

5/1/12 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित ... P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 25/1/12 को वास्ते जवाब दावा पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

25/1/12 वकलाप क्योंकि उपस्थित। जवाब पेश हेतु समय चाहते हैं पत्रावली वास्ते जवाब दावा दिनांक 1/4/12 को पेश हो।

1/2/12 पत्रावली पेश हुई अधिवक्तागण द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया है प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा पेश किया नकल वादी को दी गयी जवाब प्राप्त पत्रावली फिर गया। पत्रावली वास्ते दस्तावेज तनकियात दिनांक 9/4/12 को पेश हो।

9/4/12 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित ... SDO P.O. सा. ... हैं। ...

दिनांक 14/3/12 पेश.

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम

हरिसिंह राजपूत बनाम अजय पाल [illegible]

मुकदमा वाद पत्र 188 [illegible] नं. 4 सन 2011

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6-12-12	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी प्रतिवादी उपस्थित ~~श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है।~~ अधिवक्तागण आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया है। पत्रावली वास्ते द.प्र.ता. दिनांक 20-12-12 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ	
20/12/12	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। ~~अधिवक्तागण आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया है।~~ पत्रावली वास्ते द.प्र.ता. दिनांक 9/1/13 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ	
9/1/13	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 7/3/13 को वास्ते द.प्र.ता. पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
7/3/13	पत्राव[illegible] ...तिवादी उप[illegible] ...है। अधिव[illegible] ...गित रखा [illegible] द.प्र.ता. दिनांक 4/4/13 [illegible] ...जौलियाँ	
4/4/13	पत्रावली पेश हुई, वकील फरीकैन उपस्थित। पत्रावली वास्ते द.प्र.ता. हेतु दिनांक 8/5/13 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)	

हुक्म या कार्यवाही मय इशारे ... | ... में जारी हुए

7-9-16 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष मारफत अधिवक्ता उप० / पत्रावली वास्ते दस्तावेज एवं तनकीमात दि. 24-11-16 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

24-11-16 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनु.। ब्रीफ पेश किया गया। प्रति. वकील मार्फत उप० है। पत्रावली वास्ते दस्तावेज एवं तनकीमात पेश करने दि. 9-2-17 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि.-भीलवाडा

9/2/17 पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 23/3/17 को वास्ते तनकीमात पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

23/3/17 पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 18/5/17 को वास्ते तनकीमात पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

18/5/17 पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 5/6/17 को वास्ते तनकी पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

5-6-17 कैम्प - नया नगर
पत्रावली न्याय आपके द्वार अभियान मे प्रस्तुत हुइ पक्षकार वादी/प्रतिवादी हाजिर/गैर हाजिर। पक्षकारों में सहमति नहीं बनने से राजीनामा नहीं हो सका [illegible] दि. 6/9/17 को वास्ते तनकी पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि.-भीलवाडा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/2/19	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित बाद एलो बिग्यो नेकार्य ~~[illegible] D.O. [illegible]~~ दिनांक ~~7/3/19~~ को वास्ते शा. वादी पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी	
7/3/19	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उपस्थित हुए। वकील वादी साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समय चाहते हैं ~~[illegible]~~ अतः शा. वादी दिनांक 11.4.19 को पेश हो। [signature]	
11/4/19	अभिभाषक उपस्थित हुए। वकील वादी ने एक प्रार्थना पत्र O7 R11 C.P.C. प्रस्तुत किया और वकील प्रतिवादी को [illegible] जवाब हेतु [illegible] S.D.O. [illegible] जवाब प्रस्तुत किया शामिल ~~[illegible]~~ [illegible] वास्ते जवाब प्रा. पत्र O7 R11 C.P.C. [illegible] दिनांक 25-4-19 को पेश हो। B.O. [signature]	
25/4/19	अभिभाषक उपस्थित। वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र O7 R11 C.P.C. पर No objection किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है। [illegible] वादी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत को शामिल पत्रावली [illegible] पर लिया जाता है। वास्ते शहादत वादी दिनांक 9-5-19 को पेश हो। [signature]	O-7 R-11 प्रार्थना पत्र पर No objection

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
ना(श्री प्रति प्रकृत कर पत्रावली दिनांक 21 को पेश हो	
पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उप. वकील पत्रिका के साथ करा प्रति प्रकृत की है। वकील प्रतिवादी ने पारस संतोष लाल्या श्री छोटे के लिए मुकेश जाकर कार्यवाही केन्द्र टिकिट ... लिया। अभिभाषक प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा। पत्रावली दिनांक 21-8-19 को पेश हो	पारस, संतोष लाल्या की ऑर्डर O.T. ...
उपखण्ड अधिकारी ... जि. भीलवाड़ा	
8-19 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उप.। अधिकारपत्र पेश करने हेतु समय चाहते हैं पत्रावली वास्ते अधिकारपत्र/जवाब दिनांक 5/9/19 को पेश हो।	
..19 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उप.। वकील प्रतिवादी की ओर से प्रार्थनापत्र order 9 rule 7 का पेश किया, वकीलवादी को प्रति दिलाई गयी, वकीलवादी ने आपत्ति जाहिर की। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण कृष्णादेवी w/o गणपतलाल पूर्व में एकतरफा पारित आदेश को निरस्त किया जाता है। पूर्व स्टेज को सीकार करते हुए एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते हैं। पूर्व स्टेज शपथ-वादी के बाद PW1 हरिसिंह के बयान करा। शामिल पत्रावली किये गये। शपथ-वादी की ओर गवाह पेश करना चाहते हैं। अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते शपथ-वादी दिनांक 12/9/19 को पेश हो।	

फर्द अहकाम
(नियम 26)

उपखण्ड अहकाम बिजौलिया

हरिसिंह बनाम ति गणपत

मुकदमा 188 RTA नं. 07/21 वर्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/1/20	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक उभयपक्ष उप./ शहादत वादी मे गवाह पेश करने हेतु अवसर चाहते है जो दिया जाता है। पत्रावली वास्ते शा. वादी दि. 5.2.20 को पेश हो।	
5/2/20	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक उभयपक्ष उप./ शहादत वादी में PW-3 रघुनाथ सिंह व PW-4 कन्हैयालाल कलाल के बयान लिये गये जो शामिल पत्रावली किया गया। साक्ष्यवादी रिकॉल रिजर्व रखते हुए बन्द की जाती है पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी 19.2.20 को पेश हो।	
19/2/20	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक उभयपक्ष उप. श. प्रतिवादी में आज कोई गवाह हाजिर नहीं। अवसर चाहते है। पत्रावली वास्ते श. प्रति दि. 27.2.20 को पेश हो।	
27/2/20	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक उभयपक्ष उप./ शहादत प्रतिवादी में अवसर चाहते है। पत्रावली वास्ते श. प्रति. दि. 5.3.20 को पेश हो।	

हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते श. प्रतिवादी दि. 18.8.20 को पेश हो।

30 पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 3.9.20 को वास्ते श. प्रतिवादी पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

3.9.20 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते श. प्रतिवादी दिनांक 24.09.2020 को पेश हो।

24/9/20 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते श. प्रतिवादी दि. 22.10.20 को पेश हो।

22/10/20 पत्रावली पेश हुई। अभिभावक उपस्थित (उप-) श. प्रतिवादी में जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहते हैं। जो अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते श. प्रति दि. 5.11.20 को पेश हो।

5/11/20 पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. ... पत्रावली दिनांक 3.12.20 को वास्ते श. प्रति. पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

3/12 पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. ... पत्रावली दिनांक 31.12.20 को वास्ते श. प्रति. पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

31/12/20 पत्रावली पेश हुई। अभिभावक उपस्थित उप. श. प्रति हेतु अवसर चाहते हैं जो अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते श. प्रति. दि. 7.1.2021 को पेश हो।

7/1/2021 पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 4.2.2021 को वास्ते श. प्रति. पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
4/2/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उप.। शा. प्रति. हेतु अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते शा. प्रति. दि. 25.2.21 को पेश हो।
25/2/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी [illegible] उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर [illegible] दिनांक 18.3.21 को वास्ते शा. प्रति. [illegible] उप खण्ड अधिकारी
18/3/21	पत्रावली पे[illegible] वादी उपस्थित श्रीमा[illegible] दिनांक 15.4.21 [illegible] शा. प्रति. हो। उप खण्ड अधिकारी
15/4/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित ~~श्रीमान~~ कोरोना काल के पर है। प्रात्रावली दिनांक 20.5.21 को वास्ते शा. प्रति पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
20/5/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी (कोरोना अवकाश) उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 1.7.21 को वास्ते शा. प्रति पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
1/7/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे (कोरोना काल) पर है। प्रात्रावली दिनांक 5.8.21 को वास्ते शा. प्रति. पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
5/8/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी [illegible] उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है [illegible] दिनांक 17.8.21 को वास्ते शा. प्रति पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
17/8/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी दि. 2.9.21 को पेश हो।

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधि. मुकाम बिजौलियां

हरीसिंह बनाम गणपत

किस्म मुकदमा 188 LRA नं. 9/11 वर्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/9/21	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 28-10-21 को वास्ते प्रा. प्रति. पेश हो। R उप खण्ड अधिकारी	
26/10/21	प्रत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान-2021 मे पेश हुई पक्षकार वादी/प्रतिवादी हाजिर/गैर हाजिर पक्षकारो ने सहमति नहीं करने से [illegible] नहीं हो सका पत्रावली दि. 21.12.21 को वास्ते. प्रा. प्रति. पेश हुई (उपखण्ड अधिकारी) बिजौलियां (भीलवाड़ा)	
21/12/21	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 19.1.22 को वास्ते प्रा. प्रति पेश हो। R उप खण्ड अधिकारी	
19.1.22	पत्रावली [illegible] वादी/प्रतिवादी [illegible] उपस्थित [illegible] दिनांक 23-3-22 को वास्ते प्रा. प्रति. पेश हो। R उप खण्ड अधिकारी	
23/3/22	[illegible] वादी/प्रतिवादी [illegible] उपस्थित [illegible] दिनांक 21.4.22 को वास्ते प्रा. प्रति पेश हो। R उप खण्ड अधिकारी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
21.4.22	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक उभयपक्ष उपस्थित। साक्ष्य प्रतिवादी हेतु अवसर चाहते है जो अंतिम अवसर दिया जाता है पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी दि. 12.5.22 को पेश हो।
12.5.22	पत्रावली पेश हुआ। आ... उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। दिनांक सा.प्रती. को वास्ते 18.5.22 पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
18.5.22	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक उभयपक्ष उप. साक्ष्य प्रतिवादी में गवाह हाजिर नहीं। अवसर चाहते जो अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी दि. 1.6.22 को पेश हो।
1.6.22 10 पि 6-22	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक उभयपक्ष उप. साक्ष्य प्रतिवादी मे आज गोपाल सिंह हाजिर लेकिन वकील प्रतिवादी ने निवेदन किया कि दस्तावेज न होने कारण आगामी पेशी पर गवाह पेश करेंगे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी दि. 9.6.22 को पेश हो।
9.6.22	पत्रावली पेश हुआ। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। अतः पत्रावली दिनांक 29.6.22 को वास्ते सा. प्राति. पेश हो। उप खण्ड अधिकारी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 6.7.22 को वास्ते सा. प्रतिवादी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
2022 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 3.08.22 को वास्ते सा. प्रतिवादी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
3.08.22 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 2.9.22 को वास्ते सा. प्रतिवादी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
7 9/22 पत्रावली पेश हुई अभिभावक उभयपक्ष उपस्थित वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 सा.प्र.सं. पेश किया जो शामिल पत्रावली है। वकील प्रतिवादी साक्ष्य प्रतिवादी मे और साक्ष्य नही करवाना चाहते है अतः साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय बहस दि. 3.11.22 को पेश हो।	
3 11/22 पत्रावली पेश हुई। अभिभावक उभयपक्ष उप। पत्रावली वास्ते निर्णय बहस दि. 15.12.22 को पेश हो।	

15.12.22 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 2.2.23 को वास्ते निर्णय पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहका... हुक्म को ... में जा...
२४/04/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली में बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 30/5/23 को पेश हो।	
30/5/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक २०/6/23 को पेश हो।	
20/6/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 22/6/23 को पेश हो।	
22/6/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 20/7/23 को पेश हो।	
२०/7/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 25/7/23 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	
२५/7/२3	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते ~~निर्णय~~/बहस दिनांक २6/10/२3 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	
26/10/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O.सा दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 12/12/23 को वास्ते निर्णय पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलिया

हरिसिंह बनाम गणपत

किस्म मुकदमा 188 KTA नं. 4/11 वर्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/12/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 21/12/23 को वास्ते निर्णय पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
21/12/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। अधिवक्ताओं को बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 02/01/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	
02/1/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली में निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली में विस्तृत निर्णय पृथक् से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। 2/1/2024 उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्रीमती सीमा तिवाड़ी (RAS) उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्या 04/2011 धारा 188 रा.टी.ए   दायर दिनांक : 17/02 /2011

राजस्व प्रकरण संख्या 62/2015 धारा 88– 188 रा.टी.ए.   दायर दिनांक : 30/12 /2015

अनवान

हरिसिंह पिता मानसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी नयानगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

............वादी

बनाम

1. गणपतलाल पुत्र अम्बालाल जाति दरोगा – (मृतक)

1.1 मोडीबाई पत्नि गणपतलाल जाति दरोगा उम्र वयस्क निवासी नई आबादी माण्डलगढ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा (राज0)

1.2 गोपाल पुत्र गणपतलाल जाति दरोगा उम्र वयस्क निवासी माण्डलगढ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा (राज0)

1.3 कृष्णा पुत्री गणपतलाल जाति दरोगा पत्नि नारायण नि0 बाण्डा तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ (राज0)

1.4 पारस पुत्री गणपतलाल जाति दरोगा निवासी माण्डलगढ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा (राज0)

1.5 सन्तोष पुत्री गणपतलाल जाति दरोगा निवासी माण्डलगढ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा (राज0)

1.6 लाल्या पुत्री गणपतलाल जाति दरोगा निवासी माण्डलगढ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा (राज0)

2. हेमन्तपुरी पुत्र हीरापुरी जाति गोस्वामी निवासी रूपाहेली तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

3. राजस्थान सरकार मार्फत तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

..........प्रतिवादीगण

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक : 02/01/2024

डिक्री दिनांक : 02/01/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियॉ बहाजरी वादी अधिवक्ता श्री गिरधारीलाल आचार्य व प्रतिवादी संख्या 2 अधिवक्ता श्री मुकेश धाकड़ एवं पैरोकार सरकार हुकम दिया जाता हैं। व डिक्री दी जाती है कि :–

मौजा नयानगर स्थित आराजी खसरा नम्बर 36 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, ख0न0 37 रकबा 3 बिस्वा, ख0न0 38 रकबा 6 बिस्वा, ख0न0 39 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, ख0न0 41 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, ख0न0 46 रकबा 15 बिस्वा, ख0न0 53 रकबा 2 बिस्वा, ख0न0 58 रकबा 19 बिस्वा, ख0न0 147 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा, ख0न0 148 रकबा 2 बिस्वां ख0न0 149 रकबा 13 बीघा, ख0न0 799/25 रकबा 1 बीघा कुल किता 12 रकबा 33 बीघा 2 बिस्वा का वर्तमान नाप के अनुसार प्रत्येक खसरा नम्बर के बनने वाले हेक्टेयर के रकबे का खातेदार घोषित किया जाता है प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त मे दखलनदाजी नही करें, न जबरन बैदखली करे, न ही किसी प्रकार से खनिज क्वारी लाईसेन्स बना कर कृषि भूमि का आकार स्वरूप बिगाड़े व खुर्द बुर्द नहीं करें। डिक्री मुर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करे।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 2 पर

नीज .....Nil.....मुबलिग ..... Nil .....बाबत् .....

Nil .....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर ..... Nil .....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... Nil .....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02 माह 01 वर्ष 2024 को जारी किया गया।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	—		स्टाम्प अरजीदया	—	
स्टाम्प वकीलात नामा	—		स्टाम्प वकीलात नामा	—	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
महनताना वकील ( )	—		महनताना वकील ( )	—	
खर्चा गवाह	—		खर्चा गवाह	—	
फीस कमीश्नर	—		फीस कमीश्नर	—	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	—		बाबत् इजराय हुक्मनामा	—	
मुनफरिक	—		मुनफरिक	—	
मीजान			मीजान		

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा, (राज0)

बईजलास श्रीमती सीमा तिवाड़ी (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्या 04/2011 धारा 188 रा.टी.ए दायर दिनांक : 17/02/2011
राजस्व प्रकरण संख्या 62/2015 धारा 88– 188 रा.टी.ए. दायर दिनांक : 30/12/2015

अनवान

हरिसिंह पिता मानसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी नयानगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....वादी

बनाम

1. गणपतलाल पुत्र अम्बालाल जाति दरोगा – (मृतक)

1.1 मोडीबाई पत्नि गणपतलाल जाति दरोगा उम्र वयस्क निवासी नई आबादी माण्डलगढ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा (राज0)

1.2 गोपाल पुत्र गणपतलाल जाति दरोगा उम्र वयस्क निवासी माण्डलगढ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा (राज0)

1.3 कृष्णा पुत्री गणपतलाल जाति दरोगा पत्नि नारायण नि0 बाण्डा तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ (राज0)

1.4 पारस पुत्री गणपतलाल जाति दरोगा निवासी माण्डलगढ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा (राज0)

1.5 सन्तोष पुत्री गणपतलाल जाति दरोगा निवासी माण्डलगढ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा (राज0)

1.6 लाल्या पुत्री गणपतलाल जाति दरोगा निवासी माण्डलगढ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा (राज0)

2. हेमन्तपुरी पुत्र हीरापुरी जाति गोस्वामी निवासी रूपाहेली तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

3. राजस्थान सरकार माफॅत तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री गिरधारीलाल आचार्य – विद्वान अधिवक्ता वादी
2. श्री मुकेश धाकड़ – विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2
3. पैरोकार सरकार – प्रतिवादी संख्या 3

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

राजस्व प्रकरण संख्या 04/2011 धारा 188 रा.टी.ए
राजस्व प्रकरण संख्या 62/2015 धारा 88– 188 रा.टी.ए.

निर्णय दिनांक : 02/01 /2024

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा वादपत्र अर्न्तगत धारा 188 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। बाद जांच सीगे से वाद दर्ज योग्य पाये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर वादपत्र दर्ज रजिस्टर किये जाने के आदेश दिये गये। प्रतिवादीगण की जरिये सम्मन के वादपत्र की नकल भिजवा दी गयी।

वादपत्र प्रकरण संख्या 62/2015 रेवेन्यू के अनुसार मानसिह पुत्र मदनसिह राजपूत जो मूल रूप से मोटरो का खेडा तहसील माण्डलगढ के निवासी थे। मानसिह जी के गोदी पिता मदनसिह जी राजपूत निवासी नयानगर के कोई संतान नही होने से उन्होने मानसिह जी को गोद राजपूत जाति की जागीरकाल की प्राचीन परम्परा अनुसार गोद लिया। तब से वे मदनसिह जी के पुत्र के रूप मे जाति समाज मे परिवार एवम पहिचान रख पिता का नाम मदनसिह राजपूत से जाने पहिचाने लगे।

मदनसिह जी राजपूत जो नयानगर के जागीरदार थे उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनकी खातेदारी मे दर्ज मौजा नयानगर स्थित कृषि भूमि जरिये उतराधिकारिता के क्रम में मानसिह पुत्र मदनसिह जी राजपूत के नाम दर्ज की गयी जिसके खसरा न0 3 रकबा 11 बिघा 3 बिस्वा खसरा सख्या 36 रकबा 5 बीघा 01 बिस्वा, खसरा न0 37 रकबा 3 बिस्वा खसरा न0 38 रकबा 6 बिस्वा, खसरा न0 39 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा न0 41 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा न0 44 रकबा 10 बिस्वा, खसरा न0 45 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा न0 46 रकबा 15 बिस्वा, खसरा न0 47 रकबा 13 बिस्वा, खसरा न0 53 रकबा 2 बिस्वा, खसरा न0 58 रकबा 19 बिस्वा, खसरा न0 147 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा खसरा न0 148 रकबा 2 बिस्वा, खसरा न0 149 रकबा 13 बीघा, खसरा न0 799/25 रकबा 1 बीघा, खसरा न. 921/20/4 रकबा 14 बीघा 5 बिस्वा, खसरा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाडा

लगातार पेज संख्या 03 पर

गंगाबाई ने मानसिह जी की जायदाद हडपने के लिए एक फर्जी वसीयतनामा अपने पक्ष मे उनसे नशे की हालत मे करवा लिया ओर मानसिह जी की नशे की हालत मे दस्तखत करवा लिये।

मानसिह जी की नशे की लत का बेजा फायदा उठाते हुये कई बीधा मोजा नयानगर की बेश किमती जमीन के 99/ रूपये के विक्रयपत्र लोगो ने लिखवा लिए व जमीन अपने खाते करवा ली।

राजपूत समाज की परम्परा अनुसार अन्य जाति की महिला से विवाह करना वर्जित है इसलिए गंगाबाई न तो उनकी उत्तराधिकारी हो सकती थी वादी एक मात्र गोद पुत्र होने से विधि अनुसार मानसिह जी का उत्तराधिकारी उनकी मृत्यु के बाद है।

गंगाबाई ने वसीयतनामा दिनांक 14–8–1976 को लिखवाया वह कानूनन अवैध है क्योकि मानसिह को पुश्तेनी जायदाद का वसीयत करने का अधिकार ही नही था। क्योकि मदनसिह जी के खाते की भूमि उनकी मृत्यु के बाद मानसिह जी उनके गोद पुत्र होने से खाते मे दर्ज हुयी।

वसीयत के अनुसार केवल 14 बीधा कृषि भूमि ही वसीयत की गयी थी। यदि गंगाबाई उनकी वैध पत्नि होती तो किसी वसीयत की आवश्यकता नही थी।

गंगाबाई ने अपने को मानसिह जी की विवाहिता उत्तराधिकारी बता राजस्व कर्मचारियो से मिलकर अपने नाम कृषि भूमि करवा ली इस प्रकार की प्राप्त खातेदारी विधि विरूद्व अमान्य है उसको चुन्नोती देने का अधिकार वादी मानसिह जी को गोद पुत्र होने से है।

वादग्रस्त जायदाद 97 बीधा 17 बिस्वा मे से काफी बडा रकबा सिलीग मे चला गया व 13 बीधा 10 बिस्वा भूमि अवैध विक्रयपत्रो के आधार पर क्रेताओ ने अपने नाम दर्ज हो गया।

कि शेष कृषि भूमि आराजी खसरा न0 36 रकबा 5 बीधा 1 बिस्वा, ख0न0 37 रकबा 3 बिस्वा, ख0न0 38 रकबा 6 बिस्वा, ख0न0 39 रकबा 3 बीधा 5 बिस्वा, ख0न0 41 रकबा 1 बीधा 11 बिस्वा, ख0न046 रकबा 15 बिस्वा, ख0न0 53

लगातार पेज संख्या 05 पर

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न0 924/ 20/1 रकबा 5 बीधा 15 बिस्वा खसरा न0 928/ 20 रकबा 13 बीधा 10 बिस्वा, ख0न0 187 रकबा 1 बीधा 5 बिस्वा, ख0न0 60 रकबा 3 बीधा 2 बिस्वा, ख0न0 70 रकबा 3 बीधा 4 बिस्वा कुल किता 22 रकबा 97 बीधा 17 बिस्वा थी।

मानसिह पुत्र मदनसिह जी राजपूत के भी कोई संतान नही हुयी। उनकी विवाहिता पत्नि छगनकंवर पुत्री रोडसिह राजपूत निवासी अखलिया की मृत्यु मानसिंह जी की मृत्यु के काफी वर्षो पूर्व ही हो गयी। मानसिह जी उन्होने दूसरा विवाह नही किया।

मानसिह जी जागीरी के समय से चली आ रही गोद लेने की राजपूत परम्परा के अनुसार अपने भाई के पुत्र वादी हरिसिह को गोद लिया। ग्राम नयानगर मे मानसिह उनका परिवार और हरिसिह का परिवार इकट्ठे हुये जाति समाज व रिश्तेदार व गांव के मोतबीरान की उपस्थिती मे साफा बन्धवाया ,गोद मे बिठाया व वादी को गोद लेने की घोषणा की कुल देवी के धोक लगवायी नारियल बांटे और गोद लेने की खुशी मे स्नेह भोज किया।

गोद लेने के पश्चात से वादी मानसिह जी के पास नयानगर रहने लग गया। उसकी पहिचान मानसिह के गोद पुत्र के रूप मे है। वादी अपने पिता का नाम मानसिह जी लिखता रहा है।

मानसिह जी को शराब की लत लग गयी काफी नशा करते थे इसी का बेजा फायदा उठा गंगाबाई पत्नि अम्बालाल दरोगा निवासी खाचरोल मानसिह जी के पास रहने लग गयी। अम्बालाल दरोगा जो जीवित था उसको छोड दिया। अम्बालाल व गंगाबाई के शारिरीक सम्बन्धो से दो लडके गोविन्द व गणपत व पाच लडकिया जो गंगाबाई के मानसिह जी के साथ रहने से पहिले से ही थे। जो अम्बालाल दरोगा की संतानो के नाम से अपनी पहिचान रखते थे। और अपने पिता का नाम अम्बालाल दरोगा ही उपयोग मे लेते थे।

गंगाबाई का विवाहित पति मरा तो गंगाबाई ने हरिसिह निवासी खाचरोल के नाते बैठ गयी।

गंगाबाई राजकीय चिकित्सालय मे सेवारत होकर दाई का काम करती थी। गंगाबाई ने मानसिह जी की जायदाद को हडपने के लिए अपने को मानसिह जी की पत्नि बताती और दस्तावेजो मे अम्बालाल का नाम हटवाकर मानसिह करवा लिया।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

लगातार पेज संख्या 04 पर

रकबा 2 बिस्वा, ख0न0 58 रकबा 19 बिस्वा, ख0न0 147 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा, ख0न0 148 रकबा 2 बिस्वा, ख0न0 149 रकबा 13 बीघा, ख0न0 799/25 रकबा 1 बीघा कुल किता 12 रकबा 33 बीघा 2 बिस्वा।

गंगाबाई को की गयी वसीयत दिनांक 14–8–1976 के अनुसार जो भूमि वसीयत से दी गयी उसमे शीतला माता का खेत 5 बीघा ,ढरलिया वाली जमीन 8 बीघा, तालाब के पेटे वाली जमीन एक बीघा वसीयत अनुसार 14 बीघा जमीन बनती है। यह 14 बीघा भूमि अपुष्ट होकर उसके किसी खसरा नम्बर का पता ही नही लग सकता है।

कि राजस्व कर्मचारियो ने बिना किसी आधार के वसीयत अस्पष्ट होते हुये 33 बीघा 2 बिस्वा भूमि गंगाबाई के नाम दर्ज कर दी। जिसने उक्त भूमि को गणपतलाल पुत्र अम्बालाल को वसीयत कर दी।

मानसिह जी की मृत्यु के बाद जरिये नामान्तकरण सख्या 154 संवत 2034 को 97 बीघा 17 बिस्वा का नामान्तकरण वादी के नाम मानसिह जी का गोद पुत्र मानते हुये खोला गया।

जिसकी अपील गंगाबाई द्वारा करने पर उपखण्ड अधिकारी महोदय माण्डलगढ ने पंचायत सलावटिया को प्रकरण रिमाण्ड कर दियां पंचायत सलावटिया ने रिमाण्ड आदेश पर कार्यवाही करते हुये दिनांक 25–7–1984 को गंगाबाई को मानसिह जी की विवाहिता नही मान उतराधिकारी वादी को मानते हुये। वादी के पक्ष मे निर्णय पारित किया।

पंचायत सलावटिया के आदेश के विरूद्व गंगाबाई ने उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ के यहा नामान्तकरण की अपील की। जिसे स्वीकार कर दिनांक 20–5–1986 को रिमाण्ड कर तहसीलदार माण्डलगढ को कार्यवाही हेतु भिजवाया जिसने दिनांक 26–10–1986 को गंगाबाई के नाम भूमि दर्ज करने के आदेश दिये।

वादी ने इसकी अपील उपखण्ड अधिकारी महोदय माण्डलगढ के यहा प्रस्तुत की इस दोरान गंगाबाई की मृत्यु हो गयी गणपतलाल ने गंगाबाई द्वारा उसके पक्ष मे की गयी वसीयत पेश की। उपखण्ड अधिकारी महोदय माण्डलगढ ने 14–9–1999 के आदेश द्वारा हक अनुसार नामान्तकरण खोलने का आदेश दिया जिसकी अपील वादी ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर के यहा धारा

लगातार पेज संख्या 06 पर

उप खण्ड अधिकारी
किशोलियाँ जिला-भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी किशोलियाँ (भीलवाड़ा)

135 (2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत की जिसको अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय ने खारिज कर दिया ।

जिसकी द्वितीय अपील वादी हरिसिह ने राजस्व मण्डल अजमेर मे पेश की जिसे दिनांक 21–8–2012 को खारिज कर दिया।

गंगाबाई ने गणपतलाल पुत्र अम्बालाल दरोगा के नाम पर दिनांक 19–5–1999 को वसीयत की थी वह अवैध है क्योकि गंगाबाई को की गयी वसीयत ही प्रारम्भ से अवैध व शून्य विधि विरूद्व दी इसलिए उसे वसीयत गणपत लाल के पक्ष मे करने का कोई अधिकार ही नही था। दोनों पक्षो के बीच भूमि की खातेदारी को लेकर विवाद हैं प्रतिवादी नं0 1 ने वादग्रस्त जायदाद को 21.10.2010 को प्रतिवादी संख्या 02 को भूमि विक्रय कर दी।

वादी की अपील खारिज होने बाद गणपतलाल ने राजस्व कर्मचारियो से मिल कर वादग्रस्त जायदाद का नामान्तकरण अपने नाम खुलवा लिया। जिसने अपने खाते मे भूमि आ जाने का अनुचित लाभ उठाते हुये प्रतिवादी सख्या 2 को भूमि विकय कर दी।

वादी ने यह वाद अर्न्तगत धारा 88–188 रा.टि.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया। क्योकि यदि नामान्तकरण के द्वारा प्रदत खातेदारी के विरूद्व धारा 88 रा0टि0एक्ट के तहत सक्षम न्यायालय मे घोषणा का वाद पेश करने मे कोई कानूनी रोक नही है।

वादग्रस्त जायदाद पर आज भी वादी का ही कब्जा है इसलिए वादी ने धारा 188 रा0टि0उक्ट के अनुतोष मागते हुये वाद प्रस्तुत किया।

प्रतिवादीगण की ओर से एक प्रार्थनापत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 व धारा 10 दि0प्र0स0 का प्रस्तुत किया गया। जिसका जवाब वादी ने पेश किया जिस पर बहस सुनी जाकर दिनांक 04.10.2015 को उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया जिसमें दोनों प्रकरणों में पक्षकार व वादग्रस्त आराजीयात समान होने से प्रकरण संख्या 04/2011 के विनिश्चिय के समय 62/2015 में अंकित अनुतोष का भी विवेचन एक साथ ही होगा इस आशय का आदेश दिनांक 04.10.2015 को पारित किया गया हैं। तथा प्रकरण संख्या 62/2015 की पत्रावली को प्रकरण संख्या 04/2011 के साथ संलग्न किए जाने का आदेश भी पारित किया गया था।

लगातार पेज संख्या 07 पर

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

इसलिए प्रकरण संख्या 04/2011 एवं 62/2015 का निर्णय एक साथ किया जा रहा हैं।

प्रतिवादीगण कम 1 व 2 की तलबी करने पर वे न्यायालय मे उपस्थित हुये ओर उनकी ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र मे तथ्यो को इन्कार करते हुये तथ्यो व कानूनी आपतिया कर वाद का प्रतिवाद किया।

मुख्य रूप से प्रतिवादीगण की आपति रही कि मानसिह जी द्वारा जो वसीयत गंगाबाई के पक्ष मे की वह विधी सम्मत थी क्योकि मानसिह जी अपने खाते मे दर्ज भूमि की वसीयत करने का अधिकार था।

वादी द्वारा जिस आधारो पर गंगाबाई के पक्ष मे हुये नामान्तकरण के निर्णय विधि सम्मत है जिसको उपखण्ड अधिकारी महोदय माण्डलगढ अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर व राजस्व मण्डल ने सही मान वादी की अपीलो को खारिज कर दिया। वादी को धारा 88 रा0टि0एक्ट के तहत इस न्यायालय मे चुन्नोति देने व घोषणा का वाद लाने का अधिकार नही है।

वादी मानसिह जी का गोद पुत्र नही है। गंगाबाई मानसिह जी की पत्नि होने से वह उनकी उत्तराधिकारी है इसलिए वह खातेदारी पाने की अधिकारी है। वादी के कोई अधिकार नही बनते।

गंगाबाई द्वारा गणपतलाल के पक्ष मे की गयी वसीयत भी वैध है। उसके गणपतलाल ने अपने नाम वसीयत के आधार पर प्राप्त खातेदारी के आधार प्रतिवादी सख्या 2 को भूमि विक्रय की वह भी वैध है।

वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

वादी एवम प्रतिवाद के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गयी।

1. आया वादी मानसिह पुत्र मदनसिह राजपूत का गोद पुत्र होने से मोजा नयानगर स्थित ख0न0 36–37–38– 39–41– 46– 53–58–147–148–149–799/25 रकबा 33 बीधा 2 बिस्वा की खातेदारी पाने का अधिकारी है।

जिम्मे वादी

2. आया मानसिह जी की मृत्यु के पश्चात गंगाबाई प्रदत खातेदारी अवैध व शून्य है इसलिए गंगाबाई की मृत्यु के पश्चात गणपतलाल पुत्र अम्बालाल दरोगा प्रदत खातेदारी गैर कानूनी व उसके पश्चात गणपत लाल द्वारा हेमन्तपुरी को किया गया

लगातार पेज संख्या 08 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाडा

विक्रय मूलतः अवैध व शून्य होने से उसकी खातेदारी वादग्रस्त नम्बरान बाबत खारिज की जाकर उसका वादी को खातेदार घोषित किया जाना वैध है।

जिम्मे वादी

3. आया वादग्रस्त जायदाद पर वादी का कब्जा होकर वादी को वादग्रस्त जायदाद का बहेसियत खातेदार होने से काबिज रह जरिये काश्त भूमि का उपयोग का अधिकार है प्रतिवादी सख्या 2 अवैध विक्रय के आधार पर से बेदखल कर सकता है न ही प्रतिवादी सख्या 2 को क्वेरी लाईसेन्स बनवा खनन कार्य करने का अधिकार है वादी स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है।

जिम्मे वादी

4. आया प्रतिवादी न0 2 जरिये क्रयाधिकार के भूमि पर काबिज है वादी वादग्रस्त जायदाद का खातेदार नही होने से स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नही है।

जिम्मे प्रतिवादी

5.आया प्रतिवादी न0 2 सदभावी क्रेता होने से उसकी खातेदारी समाप्त की जाकर वादी को उसकी खातेदारी दी जा सकती है।

जिम्मे प्रतिवादी

6. आया संभागीय आयुक्त द्वारा पारित निर्णय को इस न्यायालय को स्थगित करने का अधिकार नही है।

जिम्मे प्रतिवादी

7. अनुतोष ।

वादी की ओर से वाद को सिद्व करवाने के लिए वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दीया, नामान्तकरणो से सम्बन्धित सभी न्यायालयो के निर्णय की प्रमाणित प्रतिया प्रस्तुत की।

प्रतिवादी सख्या 2 की ओर से विक्रयपत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

प्रतिवादी सख्या एक ने कोई दस्तावेज पेश नही किया।

कि वादी द्वारा अपनी साक्ष्य मे स्वंय हरिसिह पी डब्ल्यू एक के रूप मे सशपथ बयान दिये। वादी ने अपने को मानसिह जी का गोद पुत्र होने बाबत कथन किया व गोद लेने की राजपूत समाज मे प्रचलित जागीर समयाकाल की व्यवस्था के बाबत बयान देते हुये गोद पुत्र की हेसीयत मानसिह जी का वैध उतराधिकारी होना बताया। मानसिह जी विवाहिता छगनकंवर का होना व उसकी मृत्यु हो जाने बाबत अपने बयानो मे कथन किया। व गंगाबाई को मानसिह जी की रखैल बताया व उसका विवाहित पति अम्बालाल दरोगा का होना व अम्बालाल

लगातार पेज संख्या 09 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ भीलवाड़ा

दरोगा की मृत्यु होने के बाद हरिसिह के यहा नाते बेठने की बात वादी ने सशपथ बयान किया। व गणपत लाल को अम्बालाल व गंगाबाई की संतान होने का कथन किया। वादग्रस्त जायदाद का मानसिह जी की मृत्यु हो जाने के बाद उनका गोद पुत्र होने से वही मानसिह जी की खातेदारी मे आयी पुश्तेनी जायदाद का हकदार खातेदार बताया। गणपतलाल को गंगाबाई द्वारा की गयी वसीयत को अवैध बताया। वादी ने वादग्रस्त जायदाद पर उसका जरिये काश्त के कब्जा होने का कथन किया। वादी ने उसे खातेदार घोषित करने हेतु अपने बयान मे निवेदन किया व उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो को प्रदर्श करवाया।

गवाह से की गयी जिरह मे प्रतिवादी की ओर से वही प्रश्न किये कि वह मानसिह का गोद पुत्र नही है गंगाबाई ही उसकी पत्नि व केवल मात्र उतराधिकारी है व गंगाबाई ने गणपत लाल को वसीयत नही की है व गणपतलाल ने हेमन्त पुरी को भूमि जरिये रजिस्टर्ड विकय के विकय की इसलिए हेमन्तपुरी का कब्जा गवाह ने सभी प्रश्नो का उत्तर नही मे दिया।

वादी ने अपने अतिरिक्त पी.डब्ल्यू 2 हीरालाल मीणा, पी.डब्ल्यू 3 रघुनाथ सिंह, पी.डब्ल्यू 4 कन्हैयालाल कलाल के बयान लेख बद्ध करवाये।

इन सभी गवाह ने वादी के हुये बयानो की ताईद की व हरिसिह को मानसिह जी ने जिस प्रचलित विधि से गोद लिया उसके बाबत तीनो गवाहन ने कथन किया व छगनकंवर को मानसिह जी की विवाहिता बताया। गंगाबाई को अम्बालाल दरोगा की विवाहिता होने के तथ्य गवाहन सशपथ बयानो मे कथन किया। गंगाबाई को मानसिह जी की रखेल होने का कथन किया। जमीन पर कब्जा भी हरिसिह का होने का कथन किया।

वादी के द्वारा साक्ष्य बन्द करने के पश्चात प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया।

इस बीच गणपतलाल की मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान को पक्षकार बनाने हेतु वादी ने आदेश 22 नियम 4 दि0प्र0स0 का प्रार्थनापत्र पेश किया जो स्वीकार किया गया। गणपतलाल की पत्नि मोडी बाई पुत्र गोपाल पुत्री कृष्णा, ~~पुत्री पारस~~, पुत्री लाल्या को गणपतलाल के स्थान पर पक्षकार बनाया गया।

लगातार पेज संख्या 10 पर

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

वारिसाना की तलबी करने पर कोई उपस्थित नही आये। उक्त वारिसान के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

दिनांक 5–2–2022 को वादी ने रिबिटल रिर्जव रखते हुये साक्ष्य बन्द कर दी उसके पश्चात प्रतिवादीगण साक्ष्य प्रस्तुत करने के कई अवसर दिये गये दिनांक 7–9–2022 को साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गयी।

पत्रावली बहस मे लगायी।

वादी की ओर से बहस करते हुये निवेदन किया कि वादी ने अपने को मानसिह का गोद पुत्र होना वादी और उसके गवाहनो के बयानो से साबित है। मानसिह जी द्वारा बाद मे किसी से विवाह नही किया करना भी साबित करवाया है। गंगाबाई मानसिह की विवाहिता नही है व अम्बालाल दरोगा निवासी खाचरोल की पत्नि है, गंगाबाई ने अपने को मानसिह जी की विवाहिता होना किसी साक्ष्य से साबित नही करवाया है, न ही प्रतिवादीगण की ओर से ऐसी कोई मोखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश हुयी है जिससे गंगाबाई से मानसिह जी ने विवाह किया हो।

पुश्तेनी जायदाद की वसीयत करने का अधिकार मानसिह जी को नही था। गंगाबाई ने सम्पति हडपने के लिए मानसिह जी शराब पीने की बुरी लत का फॉयदा उठा फर्जी वसीयत करवा ली और बाद मे उसे अपने अम्बालाल दरोगा से उत्पन्न पुत्र गणपतलाल दरोगा को जायदाद वसीयत कर दी चूकि गंगाबाई के पक्ष मे की गयी मानसिह जी की पुश्तेनी जायदाद की वसीयत अवैध थी इसलिए गंगाबाई द्वारा गणपतलाल के पक्ष मे की गयी वसीयत भी अवैध है। गणपतलाल ने अवैध रूप से प्राप्त खातेदारी की भूमि को हेमन्तपुरी को विक्रय की वह भी कानूनी रूप से अवैध है। वादी मानसिह जी का गोद पुत्र होने उनका एक मात्र वैध उत्तराधिकारी हो खातेदारी पाने का अधिकारी है। वादी द्वारा अपना कृषि भूमि पर उसका कब्जा होना भी साबित करवाया है इसकी ताईद द्वारा प्रस्तुत गवाहन ने की है।

वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का कोई रिबिटल प्रतिवादीगण ने नही दिया है इसलिए वादी का वाद सिद्ध होना माना जायेगा।

नामान्तकरणो पर हुये निर्णय वादी को खातेदारी दिये जाने मे बाधक नही है। क्योकि नामान्तकरण एक फिसल प्रोसीडिग है जो किसी की खातेदारी तय

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 11 पर

बीच भूमि की खातेदारी को लेकर चल रहे विवाद का

नही करते है जिसके निम्न न्यायिक उदहरण प्रस्तुत है।

RBJ 2019 PAGE 258

RRD 2011 PAGE 795

RRD 2009 PAGE 303

RRD 2008 PAGE 168

RRD 1965 PAGE 349

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त उक्त वाद पत्र में चस्पा होते हैं। किसी नामान्तकरण की कार्यवाही या निर्णय को सक्षम न्यायालय मे धारा 88 रा0टि0एक्ट के तहत वाद लाकर चुन्नोति दी जा सकती है

प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किये जाने व दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रर्दश नही करवाने से केवल कानूनी बिन्दुओ पर बहस की गयी अपनी बहस मे प्रतिवादीगण की ओर से निवेदन किया गया कि वादी के विरूद्व नामान्तकरणो के बाबत विभिन्न न्यायालय ने निर्णय पारित किये है ओर गंगाबाई को प्रदत खातेदारी को सही मानकर यह निर्णय वादी के विरूद्व किये गये । गंगाबाई की वसीयत के आधार पर गणपतलाल को राजस्व अधिकारियो ने खातेदारी प्रदान कर भूमि दर्ज की है। इसलिए उसके द्वारा हेमन्तपुरी को किया गया विकय भी वैध है। वादी ने हेमन्तपुरी को विकय को निरस्त नही करवाया है।

वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

दोनो प्रकरण संख्या 04/11 रे0रे0 व प्रकरण संख्या 62/2015 रे0रे0 की अंतिम मजीद बहस दोनो पक्षो की सुनी जाकर पत्रावली निर्णय मे लगायी।

पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज, प्रस्तुत साक्ष्य का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर मनन किया गया इस न्यायालय का तनकी अनुसार निम्न निर्णय है।

तनकी न0 एक :–

जिसको सिद्व करने का भार वादी पर है वादग्रस्त खसरा नम्बरान की जायदाद मदनसिह जी की मृत्यु के पश्चात उनके गोद पुत्र मानसिह के नाम पर दर्ज हुयी इस बाबत दोनो पक्षो मे कोई विवाद नही है राजस्व रेकॉर्ड मे जो प्रस्तुत हुआ है उससे भी यह सिद्व हुआ है केवल इस तनकी मे यह तय किया जाना की वादी इसकी खातेदारी पाने का अधिकारी है। मानसिह जी के कोई संतान नही थी। वादी को मानसिह जी ने गोद लिया उसको वादी स्वंय ओर उसके प्रस्तुत गवाहन

लगातार पेज संख्या 12 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

से साबित हुआ है पंचायत सलावटिया से अपील न्यायालय के रिमाण्ड आदेश नामान्तकरण बाबत साक्ष्य लेकर निर्णय किये जाने आदेश दिये थे उसका निर्णय भी पेश हुआ है। जिससे वादी को मानसिह जी द्वारा गोद लिये जाने आधार उतराधिकारी माना है व गंगाबाई को मानसिह जी की पत्नि होना नही माना है।

प्रतिवादीगण ने ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है कि जिससे यह माना जाय की वादी मानसिह का गोद पुत्र नही है। जहा तक गंगा बाई की वसीयत का प्रश्न है प्रतिवादीगण ने साक्ष्य प्रस्तुत कर उसे साबित नही करवाया है न वसीयत पेश की है इसलिए वसीयत सही की गयी कितने बीधा की किस नम्बरान की गयी सिद्ध नही करवायी गयी है इसलिए वादी को चाहे गये खसरा नम्बरान की खातेदारी दिये जाने मे यह न्यायालय उचित पाता है इसलिए वादी के पक्ष मे तनकी नं0 1 तय की जाकर वादी को उक्त वादपत्र में वर्णित खसरा नम्बरान का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तनकी न0 2:-

उक्त तनकी को सिद्व कराने का भार वादी पर है गंगाबाई मानसिह जी की विवाहिता पत्नि नही होना वादी की साक्ष्य से साबित करवाया गया प्रतिवादी की ओर से इसके रिबिटल मे साक्ष्य देकर दस्तावेजी सिबूत व मोखिक साक्ष्य से गंगाबाई मानसिह जी की विवाहिता हो उसकी उतराधिकारी होना साबित नही करवाया है जबकि वादी ने मानसिह जी कि विवाहिता छगन कंवर का पत्नि होना साबित करवाया। गंगाबाई के पक्ष मे की गयी वसीयत भी संदेह के परे प्रस्तुत कर साबित नही करवायी गयी है इसलिए गंगाबाई को की दी गयी खातेदारी भी कानूनन सही दी गयी हो सिद्व नही हुयी है। ऐसी स्थिती में बाद के सभी अन्तरण भी वैध होना माना जाना संदेह के घेरे मे है जबकि ठोस साक्ष्य द्वारा वसीयत को सिद्व करवाना प्रकरण के प्रभावी निस्तारण के लिए आवश्यक है वादी ने जो साक्ष्य प्रस्तुत की है वही एक मात्र इस तनकी को सिद्व करवाना मानते हुये इस तनकी का निर्णय वादी के पक्ष मे किया जाता है।

तनकी न0 3 :

इस तनकी को सिद्व कराने का भारी वादी पर है वादी ने अपनी साक्ष्य व गवाहन के बयान से वादग्रस्त खसरा नम्बरान की भूमि पर वादी को जरिये काश्त के कब्जा होना सिद्व करवाया गया। प्रतिवादीगण की ओर से ऐसी कोई

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 13 पर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

साक्ष्य नही दी गयी है कि वादी का कब्जा नही होकर प्रतिवादी केता का कब्जा होना सिद्व करवाया गया हो। जहा तक क्वेरी लाईसेन्स प्रतिवादी सख्या 2 प्राप्त कर वादग्रस्त जायदाद पर भूमि को खनन उपयोग मे लेना चाह रहा है। क्वेरी लाईसेन्स तभी बनाया जा सकता है जब खातेदार का वैध कब्जा हो और वैध तरिक्के से उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हो। इस मामले मे खातेदारी बाबत न्यायालय तनकी नम्बर 1 का निर्णय वादी के पक्ष मे कर वादी को खातेदार मानसिह है ऐसी स्थिती मे वादी स्थाई निषेधाज्ञा पाने का भी अधिकारी हो जाता है इसलिए तनकी निर्णय वादी के पक्ष मे किया जाता है।

तनकी न0 4:–

इस तनकी को सिद्व करवाने का भार प्रतिवादीगण पर है किन्तु इस तनकी को सिद्व करवाने के लिए कोई भी साक्ष्य प्रतिवादीगण ने पेश नही की है न विकयत्र को प्रर्दश करवाया है इसलिए यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी न0 5

इस तनकी को सिद्व कराने का भार भी प्रतिवादीगण पर है चूकि प्रतिवादीगण ने इस तनकी बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है न ही यह सिद्व करवाया है कि गंगाबाई को प्रदत खातेदारी वैध वसीयत के आधार पर दी गयी। उसके पश्चात गणपतलाल के पक्ष मे की गयी वसीयत भी वैध थी। न ही वसीयत पेश हुयी न ही उनको प्रर्दश करवाया गया। केवल वसीयत करने का कथन करने मात्र से वसीयत को सिद्व होना नही माना जा सकता है न्यायालय के समक्ष वसीयत को निर्विवाद रूप से सही एवम सत्य सिद्व करवाना भी आवश्यक है। इस साक्ष्य का नितान्त अभाव होने पर तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी न0 6:–

इसको सिद्व करवाने का भार प्रतिवादीगण पर है प्रतिवादीगण की ओर से ऐसा कोई निर्णय प्रस्तुत किया नही गया है कि जिससे यह सिद्व हुआ हो कि नामान्तकरण के मामले अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के निर्णय को धारा 88 रा0टि0एक्ट के इस न्यायालय मे चुन्नोति नही दी जा सकती हो जब वादी के अभिभाषक ने न्यायिक उदाहरण प्रस्तुत कर इस व्यवस्था की ओर ध्यान दिलाया कि

लगातार पेज संख्या 14 पर

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

नामान्तकरण के निर्णय को धारा 88 रा0टि0एक्ट के तहत चुन्नोति दी जा सकती है। यह तनकी भी प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

–: आदेश :–

तनकी नम्बर 1, 2 व 3 का निर्णय वादी के पक्ष में व तनकी नम्बर 4–5– 6 का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्व किया गया है इसलिए वादी का वाद डिकी किया जाकर मौजा नयानगर स्थित आराजी खसरा नम्बर 36 रकबा 5 बीधा 1 बिस्वा, ख0न0 37 रकबा 3 बिस्वा, ख0न0 38 रकबा 6 बिस्वा, ख0न0 39 रकबा 3 बीधा 5 बिस्वा, ख0न0 41 रकबा 1 बीधा 11 बिस्वा, ख0न0 46 रकबा 15 बिस्वा, ख0न0 53 रकबा 2 बिस्वा, ख0न0 58 रकबा 19 बिस्वा, ख0न0 147 रकबा 6 बीधा 8 बिस्वा, ख0न0 148 रकबा 2 बिस्वां ख0न0 149 रकबा 13 बीधा, ख0न0 799/25 रकबा 1 बीधा कुल किता 12 रकबा 33 बीधा 2 बिस्वा का वर्तमान नाप के अनुसार प्रत्येक खसरा नम्बर के बनने वाले हेक्टेयर के रकबे का खातेदार घोषित किया जाता है प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त मे दखलनदाजी नही करें, न जबरन बैदखली करे, न ही किसी प्रकार से खनिज क्वारी लाईसेन्स बना कर कृषि भूमि का आकार स्वरूप बिगाड़े व खुर्द बुर्द नहीं करें।

निर्णय आज दिनांक 02/01/2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया निर्णयानुसार डिकी मुर्तिब की जाकर तहरीर तहसीलदार बिजोलिया को भिजवायी जाकर राजस्व रेकार्ड मे वादी के नाम भूमि खाते में दर्ज की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(सीमा तिवाड़ी)
उप खण्ड अधिकारी
बिजोलियां जिला-भीलवाडा

उप खण्ड अधिकारी
बिजोलियां जिला-भीलवाडा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजोलियां (भीलवाड़ा)